कृष्ण सिंह उर्फ किशन सिंह बनाम सरकार
अन्तर्गत धारा 209 आर.टी.एक्ट, 136 एल.आर.ए.
प्र.सं. 53/2022 जीसीएमएस आईडी : 2022/167

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
1.02.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2023/711 दिनांक 10.02.2023 प्राप्त हुई। वकील वादीगण को वाद पत्र पर सुना गया। वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से चक अराईयांवाला बारानी का खाता सं. 15/15 में दर्ज अनुसार मु.नं. 13 प.नं. 230/221 के कि.नं. 1ता3, 8ता13, 18ता23 प्रत्येक सालम कुल 3.795है. बारानी भूमि खातेदारी हैं। वादी को दो नामों किशन सिंह एवं कृष्ण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाता है किशन सिंह वादी का घरू नाम है, वास्तविक व सही नाम कृष्ण सिंह है जो दस्तावेज में हैं जमाबंदी में नाम किशन सिंह दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किशन सिंह के स्थान पर किशन सिंह उर्फ कृष्ण सिंह दुरूस्त करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में किशन सिंह पुत्र लाल सिंह की जगह कृष्ण सिंह उर्फ किशन सिंह पुत्र लाल सिंह की दुरूस्ती करने की अनुशंषा की हैं। रिपोर्ट के संलग्न प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत 2 एफसी श्रीकरणपुर दिनांक 18.06.2018 व दिनांक 01.02.2023 में अंकित हैं कि कृष्ण सिंह पुत्र लाल सिंह व किशन सिंह पुत्र लाल सिंह एक ही व्यक्ति है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों मूल निवास, जाति प्रमाण व अन्य पहचान के दस्तावेजों में नाम कृष्ण सिंह अंकित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंषा रिपोट के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक अराईयांवाला बारानी का खाता सं. 15/15 में दर्ज अनुसार मु.नं. 13 प.नं. 230/221 के कि.नं. 1ता3, 8ता13, 18ता23 प्रत्येक सालम कुल 3.795है. बारानी भूमि के खातेदार के नाम किशन सिंह पुत्र लाल सिंह के स्थान पर कृष्ण सिंह उर्फ किशन सिंह पुत्र लाल सिंह की दुरूस्ती कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (गुंजन सिंह) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:01 IST
Reason: SelfAttested